न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 02/2011 ::

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार रोहट तहसील रोहट		मृतक जसरूपमल पुत्र जगरूपमल जाति जैन निवासी जोधपुर के का.मु. 1. दशरथमल पुत्र जसरूपमल जाति जैन 2. मृतक रघुवीरमल पुत्र जसरूपमल के का.मु. 2/1 संदीप पुत्र स्व. रघुवीरमल 2/2 ज्ञानमल पुत्र स्व. रघुवीरमल 2/3 सरला पत्नी स्व. रघुवीरमल 2/4 मृतक लक्ष्मी पुत्री जसरूपमल के का.मु. 2/4/1 सुबोध 2/4/2 अक्षय 2/4/3 शोभना तमाम जातिगण जैन निवासी बी—301, आंचल कॉम्पलेक्स रेजीडेन्सी रोड जोधपुर जिला जोधपुर 3. सन्तोष पुत्री जसरूपमल पत्नी डी.एस. कोठारी, निवासी 947 सरदारपुरा II डी रोड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर 4. श्रीमती शारदा पुत्री जसरूपमल पत्नी महेश मेहता जाति जैन निवासी एच 78 प्रतापनगर, जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व

(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :—

अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य :—

दिनांक :—15.07.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अप्रार्थी स्व. जसरूपमल पुत्र जगरूपमल जाति जैन निवासी जोधपुर को

जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम दूदली तहसील रोहट स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 20 बीघा का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11.07.1972 में किया गया। उक्त भू आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा मूल आवंटन पत्र भी तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम दूदली तहसील रोहट में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 20 बीघा का आवंटन, आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक में दिनांक 11.07.1972 को हुआ, जिसमें अप्रार्थी स्व. जसरूपमल को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 27.10.1977 को निर्णित किया गया। जिसका जमाबन्दी संवत् 2036–39 में आवंटी का नाम अंकन किया गया है। जो आवंटन के 9 वर्षो के बाद रेकर्ड में नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी को आवंटन 11.07.1972 को हुआ तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 15 के अधीन आवंटी का दायित्व था, भूमि का कब्जा प्राप्त करता। आवंटी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे आवंटन निरस्त योग्य है।

नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 27.10.1977 को आवंटन के 5 वर्ष बाद बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज व निर्णित किया गया है एवं आवंटन की तिथी दिनांक 11.07.1972 को मूल आवंटी जसरूपमल रेलवे विभाग में कार्यरत अर्थात केन्द्रीय कार्मिक था, इसलिए आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति नहीं था। ऐसे में आवंटन निरस्त योग्य है।

बाद में उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1104 दिनांक 20.06.2010 ग्राम दूदली के द्वारा वसीयत के आधार पर श्रीमती शारदा मेहता पत्नी महेशचन्द मेहता क नाम पर दर्ज हुई तथा महेशचंद मेहता वर्ष 2010 में उपखण्ड अधिकारी रोहट के पद पर कार्यरत रहे है। उन्होंने आवंटन बहाल रखने के मध्यनजर अपने प्रभाव से ग्राम दूदली की खसरा गिरदावरी चौसाला संवत 2037–2040 में उक्त आवंटित भूमि में काश्त नहीं होने के उपरांत भी खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 20 व 26 में काश्त का क्षेत्रफल अंकित करा दिया था। जो उस पृष्ठ के कॉलम के भाग में गोश्वारा से उक्त किए गए अंकन का मिलान नहीं हो रहा है उससे व कांट छांट से भी प्रमाणित है अर्थात भूमि में सिर्फ काश्त दर्ज कराया, जो उक्त अंकन लाभ प्राप्ती हेतु कराया गया था।

आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कोई काश्त नहीं की गई और न ही उक्त भूमि पर किसी का कब्जा ही रहा है। इस प्रकार आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं किए जाने से आवंटन खारिज किया जावें।

जिला कलेक्टर, पाली

वकील अप्रार्थीगण ने वक्त बहस प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के संदर्भ में निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम दूदली तहसील रोहट में स्थित खसरा नम्बर 224 रकबा 20 बीघा आराजी का आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक में दिनांक 11.07.1972 में स्व. जसरूपमल के नाम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था। जिसका नामान्तरकरण राजस्व कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा 5 वर्ष पश्चात जरिए नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 27.01.1977 को किया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा भूमि बोने के उपरान्त भी गिरदावरी नहीं हो सकती तथा 5 वर्ष पश्चात राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु आवंटी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। आवंटी को दिनांक 11.07.1972 को भूमि आवंटन किया गया तथा प्रार्थी तहसीलदार द्वारा उल्लेख किया गया कि आंवटी का आवंटन कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 15 के अधीन दायित्व था कि भूमि का कब्जा प्राप्त करता किन्तु आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया। इस बिनाय पर आंवटन खारिज नहीं किया जा सकता। अपने इस तर्क की ताईद में वकील अप्रार्थी द्वारा RRD Feb. 2005 का न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किया।

ग्राम दूदली के नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 27.10.1977 आवंटन के 5 वर्ष बाद बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज निर्णित किया गया। इसके संदर्भ में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि आवंटन के पश्चात संबंधित पटवार हल्का को आवंटन आदेश की प्रति अमल दरामद हेतु भिजवाई जाती है तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु नामान्तरकरण की कार्यवाही संबंधित पटवारी हल्का द्वारा की जाती है, ऐसा किया भी गया तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर ही आवंटी का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। वर्तमान में इस 14(4) के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में 40 से भी अधिक वर्षो के बाद उक्त नामान्तरकरण की समीक्षा नहीं की जा सकती है, न ही इस बिनाय पर आंवटन निरस्त किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.07.1972 को मूल आवंटी जसरूपमल रेलवे विभाग में कार्यरत अर्थात केन्द्र सरकार में कार्मिक था, इसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2016 RRD 615 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि किसी सरकारी कर्मचारी को आवंटन नहीं किए जाने के संबंध में संशोधन 1983 में किया गया, जबकि आवंटन 1972 का है तथा उपरोक्त संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस प्रकरण में अप्रार्थी स्व. जसरूपमल को सन् 1972 में किए गए आवंटन को यह संशोधन प्रभावित नहीं करता है। वकील अप्रार्थी के द्वारा यह भी कथन किया गया कि गिरदावरी संवत 2037–2040 में अप्रार्थी का नाम इन्द्राज कराने का आक्षेप श्री महेशचन्द्र मेहता पर किया गया है। जो सरासर मनगढंत है। क्योंकि गिदरावरी संबंधी रेकर्ड तहसील कार्यालय में होता है तथा वहीं इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि श्री महेशचन्द्र मेहता उपखण्ड अधिकारी थे, जिनका पृथक

जिला कलेक्टर, पाली

कार्यालय था तथा ऐसा इन्द्राज किसी के द्वारा किया गया तो तत्समय ही कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में इस प्रकार का आक्षेप न्यायोचित नहीं है, न ही मान्य हो सकता है।

प्रार्थी के आवंटी द्वारा भूमि पर कब्जा कांश्त नहीं होने का मानकर आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) का उल्लघंन करना बताया जो सरासर अमान्य तथ्य है। इस बाबत 2011 RRT 270 का दृष्टांत भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार नियम 14(3) में संशोधन किया और शर्त संख्या 1 व 2 विलोपित की तथा 25 वर्षो तक कार्यवाही नहीं करने के लिए विभाग को दोषी माना है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर, अप्रार्थी श्री जसरूपमल को 1972 में किया गया आवंटन बहाल रखने का भी निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अप्रार्थी जसरूपमल को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन वर्ष 1972 में भूतपूर्व सैनिक होने से ग्राम दूदली के खसरा नम्बर 240 रकबा 20 बीघा आराजी का किया गया तथा उसके 5 वर्षो बाद नामान्तरकरण 1977 में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने का उल्लेख किया गया। नामान्तरकरण संख्या 183 की प्रति प्रार्थी द्वारा पत्रावली संलग्न प्रेषित नहीं की गई, न पटवार हल्का की रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख है तथा न ही 14(4) के तहत इसकी समीक्षा ही की जा सकती है। फिर भी अगर नामान्तरकरण संख्या 183 गलत भरा गया तो उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में आंवटी का नाम इन्द्राज कैसे हुआ तथा उक्त नियम विरूद्ध आवंटन एवं नामान्तरकरण की एवं जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर कब्जा नहीं होने बाबत जानकारी होने पर तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, इसमें तहसीलदार को 30 वर्षो की लम्बी अवधी का समय लगा। जो अतिशय ढिलाई एंव विलम्ब के लिए दोषी है। जिसका दण्ड आवंटी को 30 वर्ष उपरान्त नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में वकील अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(1) 270 पूर्ण रूप से चस्पा होता है। जिसके अनुसार इतने लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं की, जिसका विभाग को दोषी माना है, आवंटी को नहीं। प्रार्थी द्वारा आवंटी जसरूपमल के रेलवे विभाग में कार्मिक होने से सरकारी कर्मचारी को भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं मानकर आवंटन निरस्त कराने हेतु निवेदन किया, परन्तु इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न पेश नहीं किया गया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2016 RRD 615 से स्पष्ट है कि दिनांक 10.02.1983 से पूर्व भू आवंटन हेतु कृषक होना आवश्यक नहीं था। दिनांक 10.02.1983 के पश्चात भू आवंटन हेतु कृषक होना

जिला कलेक्टर, पाली

आवश्यक है। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन 1972 को अप्रार्थी के हक में हो चूका था। इसलिए इस संबंध में उपरोक्त दृष्टांत के आधार पर आवंटन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। भूमि का कब्जा देने का दायित्व आवंटन अधिकारी का है। अप्रार्थी को आवंटन के पश्चात कब्जा सौपा गया, ऐसा साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा सौपने तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज का दायित्व आवंटन अधिकारी का होता है। जो न्यायिक दृष्टान्त RRD Feb. 2005 में उल्लेखित होने से स्पष्ट है। जिसमें कब्जा सौपनें तथा अगर किसी का अतिक्रमण होने पर उसे खाली कराये जाने का भ्झी अंकन है। इसके लिए आवंटी को दोषी मानना, न तो तर्कसंगत है, न ही विधी सम्मत तथा न्यायिक दृष्टान्त 2015 DNJ(rev) के अनुसार अतिशय विलम्ब के पश्चात तकनिकी आधारों पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है, जबकि वर्तमान में आंवटी खातेदार होने के पश्चात आराजी उसके वारिसान के नाम अमल दरामद है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी जसरूपमल के हक में किया गया आवंटन खारिज किया जाना न्यायोचित नही हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी स्व. जसरूपमल के हक में ग्राम दूदली पटवार हल्का सिणगारी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 244 रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11.07.1972 को किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रोहट को एवं मूल आवंटन प्रभारी अधिकारी,रेकर्ड शाखा कलक्ट्रेट पाली को प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली